7.20	पत्रावली आदेश हेतु पेश/पेशकार को पत्रावली देखी गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को तलबी हेतु सम्मन जारी होवे। पत्रावली 8.7.20 को पेश हो।	
8 7/20	पत्रावली पेश। वकील वादी एवं पेशकार सरकार उप०। जवाब सरकार पेश। शा.का. हो। वास्ते साक्ष्य वादी 13.7.20 को पेश हो।	
13 7/20	पत्रावली पेश। वकील वादी एवं पेशकार सरकार उप० है। साक्ष्य में शपथ पत्र वादिया पेश। शामिल पत्रावली हो। पेशकार जिरह करना नहीं चाहते। वास्ते बहस पत्रावली दि. 16/7/20 को पेश हो।	नि. अं. पुष्पाबाई रामेश्वर
16 7/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं पेशकार सरकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पेशकार	

16/7/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	सरकार सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहरा कर निवेदन किया कि प्रकरण वर्णित भूमि माफी की भूमि है, माफी को रिज्यूम्ड किया जा चुका है। इस कारण उक्त माफी का अंकन वादग्रस्त भूमि पर से हटाया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराया तथा वाद वादीगण पर आपत्ति प्रकट की। बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके मौजा खेलबाद की भूमि खसरा नम्बर 1470, 1473, 1592, 1594, 1596, 291, 292, 293, 297 किता 9 रकबा 7.07 हेक्टर भूमि पर से "माफी रिज्यूम्ड" शब्द को हटवाने का अनुतोष चाहा है। जवाब में पैरोकार सरकार के द्वारा अंकित किया है, कि साबिक खसरा नम्बर की भूमि की माफी को रिज्यूम्ड किया जा चुका है, ऐसी सूरत में वादग्रस्त [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि पर से भाकी का अंकन हटा दिया जाता है, तो राजस्व प्रमाणित नहीं होते हैं। साक्ष्य में वादीगण द्वारा स्वयं के शपथ-पत्र प्रदर्श PW-1 व प्रदर्श PW-2 के साथ नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद सं. 2072-75 खाता नं. 1222 प्रदर्श-1, खतौनी बंदोबस्त संवत 2068-71 खाता नं. 1115 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी 2014-33 खाता नं. 397 व 399 प्रदर्श-3, नकल ग्राम खैराबाद सं. 2026-29 प्रदर्श-4, प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद 2034-37 खाता 586 व 589 प्रदर्श-6, प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी खैराबाद संवत अपठित खाता नं. 604 व 608 प्रदर्श-8, नकल जमाबंदी खैराबाद खाता नं. 603 प्रदर्श-9, नकल जमाबंदी प्रदर्श-10, नकल जमाबंदी खैराबाद खाता नं. 686 प्रदर्श-11, प्रदर्श-12, नकल जमाबंदी प्रदर्श-13, नकल जमाबंदी खैराबाद 2043-46 खाता नं. 643 प्रदर्श-14, प्रदर्श-15, नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद सं. 2051-54 खाता नं. 728 प्रदर्श-16, खाता नं. 723 प्रदर्श-17, नकल जमाबंदी खैराबाद 2098-21 खाता नम्बर 348-349 प्रदर्श-18, नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद 2055-58 खाता नं. 820 व 825 प्रदर्श-19, खाता नं. 822 प्रदर्श-20, नकल फर्द मिनान प्रदर्श-21 किता 3, नकल जमाबंदी बंदोबस्त सन् 2004-2024 खाता नं. 854 प्रदर्श-22, आधार कार्ड नं. 378624362067 प्रदर्श 23A, आधार कार्ड नं. 486663263168 की प्रति प्रदर्श-24A. प्रस्तुत किये। प्रदर्श-14 में वादीगण के पति/पिता के नाम ख0नं. ९५४, ९६५, ९७०, ९८७६, ९८७७, ९५६, ९६३, ९६६, ९८८७ किता ९ रकबा ४३ भूमि दर्ज (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है। उक्त भूमि पर रिज्यूम माफी का नोट दर्ज है। प्रदर्श-3 में बादगत भूमि पर माफी पुन्यार्थ एवं रिज्यूम के साथ दिनांक 1.6.58 अंकित है। इस प्रकार खतौनी बन्दोबस्त 2014-2023 में ही बादगत भूमि की माफी रिज्यूम्ड हो चुकी है। प्रदर्श-5 के अवलोकन से प्रमाणित होता है, कि बादगत भूमि पर माफी का कोई अंकन नहीं है। अर्थात संवत 2026-2029 में माफी का कोई अंकन नहीं है।
	प्रदर्श-6 में बादगत भूमि धन्नालाल पुत्र नंदा के स्थान पर वादीगण के पिता/पति रामनारायण के नाम पर दर्ज की गयी/उक्त भूमि बिलसरान खाता नं. [136/886] से संवत 2034-2037 की जमाबंदी में दर्ज की गई/उक्त प्रदर्श-9 में बादगत भूमि रामनारायण के नाम दर्ज है। प्रदर्श-11 में बादगत भूमि पर वादीगण का नाम दर्ज किया गया तथा रिज्यूम माफी का अंकन पुनः दर्ज कर दिया गया, जबकि माफी पूर्व में ही हट चुकी थी। प्रदर्श-13 में बादगत भूमि रामनारायण के नाम दर्ज है।
	प्रदर्श-17 में बादगत भूमि वादीगण के नाम ही दर्ज है तथा भूमि पर किसी प्रकार से माफी का अंकन नहीं है।

ीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रदर्श-19-20 में संवत 2055-58 में वादी ने 2 को
बालिग दर्ज किया गया तथा भूमि पर माफी का
अंकन नहीं है। प्रदर्श-21 से यह प्रकाशित होता
है कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर १५४,
१६५, १६०, १८७६, १८७७, १५६, १६३, १६६, १८८७ व
हाल खसरा नम्बर २५१, २५२, २५३, २५७, १४७०
१४७३, १५५२, १५५४ व १५५६ पैमूद किये गये हैं।
हस्ब प्रदर्श 22 उक्त भूमि बाद बन्दोबस्त वादीगण
के नाम पर दर्ज की गई है किन्तु खाते पर
माफी रिज्यूम्ड का अंकन दर्ज कर दिया गया है।
हस्ब बन्दोबस्त से ठीक पूर्व वादग्रस्त भूमि पर
प्रदर्श-19 किसी प्रकार माफी का अंकन नहीं है।
वादग्रस्त भूमि R.T. Act धारा 5 की उपधारा
22(क) में यथा परिभाषित द्वितीय अनुसूची की
क्रम संख्या 40 पर अंकित माफी है, जो हस्ब
प्रमाण 1-7-58 को रिज्यूम्ड की जा चुकी
है। अब बन्दोबस्त द्वारा उसे पुनः दर्ज कर
देना अर्थात माफी रिज्यूम्ड का अंकन कर
देना मात्र लिखावटी है।
चूंकि भूमि पूर्व में माफी पुण्यार्थ की
थी, जो माफी 1-7-58 को रिज्यूम्ड हो चुकी
है, इस प्रकार R.T. Act 1955 की धारा 13
के प्रावधानों के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत
माफी के पुनर्ग्रहण अथवा उन्मूलन हो जाने
पर भू-संपत्ति धारक खातेदार आसामी बन
जाता है और खातेदार आसामी के ही
सभी उत्तरदायित्वाधीन रहता है।
इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण
R.T. Act 1955 की धारा 14 की उपधारा
(क) में वर्णित अभिधारी की हैसियत

16/7/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
	रखते हुये प्रार्थीगण होने से, वादग्रस्त भूमि पर "माफी रिज्यूम्ड" का अंकन एक दिखावटी शब्द है, जिसे हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम खेरावाद की भूमि आराजी नम्बर 291, 292, 293, 297, 1470, 1473, 1592, 1594, 1596 किता 9 रकबा 7.07 हैक्टर पर दर्ज "माफी रिज्यूम्ड" अंकन को खाते से विलोपित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।	
	पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	
	निर्णय आज दिनांक 16/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।	
	16/07/20 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

अंतिम- डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

ब इजलास — चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

फुल्लाबाई — बनाम — सरकार

दावा बाबत — 88, 89, 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. — 77 — सन् — 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी — श्री चंदन गुप्ता (एड.) — मिनजानिब मुद्दई व — पैरोकार सरकार

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम खेड़ाबाद की भूमि आराजी नम्बर 291, 292, 293, 297, 1470, 1473, 1592, 1594, 1596 किता 9 रकबा 7.07 हे० पर दर्ज "माफी रिज्यूम्ड" अंकन को खाते से विलोपित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

चीज — मुबालग — ✓ — बाबत — ✓

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — ✓ — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — ✓ — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 16 — माह — 07 — 2020.

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत — [signature] 16/07/20

ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	—
मीजान....	—	—			

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी